न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला दौसा (राज.)

पीठासीन अधिकारी का नाम	सीमा मीना, RJS(UID NO. RJ01558)
निर्णय दिनांक	30.03.2026
प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रेशन दिनांक	28.05.2016
रेगुलर फौजदारी प्रकरण संख्या	89 / 2016
अंतर्गत धारा	279, 337, 338 आई.पी.सी.
सी.आई.एस. नंबर	1530 / 2020
सी.एन.आर. नंबर	RJDS120002132016
एफ.आई.आर. नंबर	44 / 2016, पुलिस थाना मण्डावर

राजस्थान राज्य **ब ना म** अशोक कुमार पुत्र बलदेव प्रसाद, निवासी शीतला कॉलोनी, हिण्डोन सिटी, जिला करौली (राज.)

.....**अभियुक्त**

अपराध की दिनांक	15.03.2016
एफ.आई.आर. की दिनांक	19.03.2016
चार्जशीट पेश होने की दिनांक	28.05.2016
आरोप सुनाए जाने की दिनांक	28.05.2016
साक्ष्य अभियोजन प्रारंभ होने की दिनांक	27.09.2016
बहस अंतिम की दिनांक	30.03.2026
निर्णय दिनांक	30.03.2026

अभियोजन गवाहों की सूची

क्रमांक	गवाह का नाम	गवाह की प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 01	लालचन्द	परिवादी, बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. का गवाह
पी.डब्ल्यू. 02	अकलेश	नक्शा मौका, बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. का गवाह
पी.डब्ल्यू. 03	मछला	बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. का गवाह
पी.डब्ल्यू. 04	डॉ. रमेशचन्द	मेडिकल विशेषज्ञ
पी.डब्ल्यू. 05	विक्रम सिंह	मेकेनिकल मुआयना का गवाह
पी.डब्ल्यू. 06	बृजेश कुमार	फर्द जब्ती टैम्पू

पी.डब्ल्यू. 07	सुरजन सिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 08	रामचरण	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 09	प्रभातीलाल	फर्द जब्ती टैम्पू/कागजात का गवाह
पी.डब्ल्यू. 10	शेर सिंह मीणा	नक्शा मौका, बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. का गवाह

अभियोजन के प्रदर्श की सूची

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी.1	तहरीरी रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी.2	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3.	प्रदर्श पी.3	फर्द निरीक्षण घटनास्थल नक्शा नजरी
4.	प्रदर्श पी.4	चोट प्रतिवेदन लालचन्द
5.	प्रदर्श पी.5	चोट प्रतिवेदन मछला
6.	प्रदर्श पी.6	एक्सरे प्लेट मछला
7.	प्रदर्श पी.7	एक्स–रे प्लेट लालचंद
8.	प्रदर्श पी.8	एक्स–रे रिपोर्ट लालचन्द
9.	प्रदर्श पी.9	एक्स–रे रिपोर्ट मछला
10.	प्रदर्श पी.10	मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट वाहन टैम्पो
11.	प्रदर्श पी.11	फर्द जब्ती वाहन टैम्पो
12.	प्रदर्श पी.12	आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त अशोक कुमार
13.	प्रदर्श पी.13	अंतिम प्रतिवेदन
14.	प्रदर्श पी.14	फर्द जब्ती कागजात वाहन टैम्पो
15.	प्रदर्श पी.15	नोटिस धारा 133 एम.वी. एक्ट

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं</u>

उपस्थित : –

01. विद्वान अभियोजन अधिकारी राज. की ओर से।

02. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त श्री मधुसूदन सैनी।

:: निर्णय :: **दिनांक : 30.03.2026**

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव दिनांक 19.03.2016 को परिवादी लालचन्द द्वारा पुलिस थाना मण्डावर पर इस आशय की तहरीरी रिपोर्ट पेश किये जाने पर हुआ कि दिनांक 15.03.2016 को समय लगभग 12:00 बजे वह अपनी धर्म पत्नी मछला के साथ महवा आने के लिए सरावली घाटा में पैट्रोल

पम्प के पास सडक के किनारे किसी वाहन की इंतजार में खड़े थे कि महवा की तरफ से एक टैम्पो जिसका नंबर आर.जे.34 जी.ए. 1148 तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाता हुआ आया एवं रॉन्ग साईड में आकर प्रार्थी व उसकी पत्नी मछला के टक्कर मार दी, जिससे वह दोनों घायल हो गए। उनको वहॉ उपस्थित लोगों ने उठाकर मण्डावर अस्पताल में पहुॅचाया, जहॉ उनका इलाज हुआ है। उसकी पत्नी मछला के कमर से पैर टूट गया, जिसका उन्होंने दौसा अस्पताल में आज दिनांक तक इलाज कराया है। उक्त टैम्पो चालक की लापरवाही से हुई है। अतः उक्त टैम्पो चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें.....आदि, इस पर पुलिस थाना मण्डावर, जिला दौसा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 44/2016 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.दं.संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

02. बाद अनुसंधान अभियुक्त अशोक कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0द0संहिता के तहत न्यायालय में पेश किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा0द0संहिता के आरोपों में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अन्वीक्षा प्रारम्भ की गई।

03. अभियुक्त को धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध के आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को सुन समझकर अपराध से अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन साक्ष्य आरम्भ की गई।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 लगायत पी.डब्ल्यू. 10 को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.1 लगायत प्रदर्श पी.15 को पेश कर प्रदर्शित कराया गया है।

05. अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार लेखबद्व किये, जिसमें अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया एवं अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये कथन किया कि ''मेरे वाहन से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मैं निर्दोष हूॅ।''

06. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से कथन रहा कि पत्रावली पर मौजूद समस्त मौखिक व

दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध संदेह से परे अभियोजन की ओर से साबित किया गया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जावे।

07. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त श्री मधुसूदन सैनी का कथन रहा है कि प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा दुर्घटना कारित किया जाना पत्रावली पर प्रस्तुत किसी भी गवाह द्वारा नहीं बतलाया गया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त की पहचान किसी भी गवाह के द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई है। ऐसे में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

08. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधारणार्थ बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि :–

> ''आया अभियुक्त ने दिनांक 15.03.2016 को समय 12:00 बजे के लगभग मौजा सरावली घाटा में पैट्रोल पम्प के पास सडक के किनारे, लोक मार्ग पर वाहन टैम्पो संख्या **RJ34-GA-1148** पर चालक होते हुए उक्त वाहन टैम्पो को उपेक्षापूर्वक या लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानवजीवन संकटापित्त किया एवं इस प्रकार से वाहन चलाकर परिवादी की पत्नी मछला के साधारण व गम्भीर उपहति व परिवादी लालचन्द के साधारण उपहति कारित की?
>
> यदि हॉ तो दण्ड की मात्रा कितनी होगी?''

09. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में परिवादी लालचन्द के द्वारा दी गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ हुई थी, वह लालचन्द प्रकरण में **गवाह पी.डब्ल्यू. 01** के तौर पर परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना की तारीख याद नहीं है, लेकिन तीसरा महीना 2016 में समय 12:00 बजे की बात है। वह अनपढ़ है। वह रोड़ पर सरावली पैट्रोल पर उसकी पत्नी के साथ खड़ा था। एक टेम्पू मण्डावर की तरफ से आया, जिसका नंबर आर.जे. 34 है बाकी नम्बर पता नहीं है। वह बेहोश हो गया, फिर उसे मण्डावर अस्पताल लेकर गए, जहॉ उसका इलाज कराया, उसके बाद दौसा रैफर कर दिया था। यह टेम्पू चालक की लापरवाही व तेज गति

से चलाने के कारण एक्सीडेंट हुआ था। उसने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई, जो प्रदर्श पी.1 है, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.2 है, घटनास्थल का नक्शा मौका उसके सामने बनाया, जो प्रदर्श पी.3 है, उसकी चोटों को मेडिकल हुआ, जो प्रदर्श पी.4 है, उक्त दस्तावेजों पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। **उक्त गवाह का जिरह में** कथन रहा है कि प्रदर्श पी.1 उसकी कलमी नहीं है, इसमें क्या लिखा है, पता नहीं, उसके तो हस्ताक्षर कराए थे। उसने घ ाटना के दिन रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। वह अनपढ़ है, इसलिए नहीं बता सकता कि प्रदर्श पी.3 में क्या लिखा है। उसने तो हस्ताक्षर किए थे। जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ, उसके नंबर पता नहीं है। वह टैम्पू के ड्राइवर को नहीं जानता, क्योंकि वह बेहोश हो गया था और ना ही उसने उसे देखा था। इस वजह से नहीं बता सकता कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ था। उन्हें टक्कर लगने का भी पता नहीं चला था। उसको तो मण्डावर जाने के बाद पता चला था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था।

10. **गवाह पी.डब्ल्यू. 02 अलकेश** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 15.03.2016 को दिन में करीब 12:00–12:30 पी.एम. की बात है। मेरा भाई लालचन्द व मेरी भाभी मछला सरावली पैट्रोल पम्प के पास साधन का इंतजार कर रहे थे। एक टेम्पू महवा से मण्डावर जा रहा था, मेरे भाई व भाभी को टक्कर मार दी, इस टेम्पू के नंबर आर.जे. 39 जी.ए. 1148 थे। इस टेम्पू का ड्राईवर छोड़कर भाग गया, इसलिए उसका नाम नहीं जानता व नहीं पहचान सकता। भाई व भाभी दोनों को मण्डावर हॉस्पिटल लेकर गए, जहॉ से दौसा रेफर कर दिया था। यह एक्सीडेंट टेम्पू चालक के तेज गति व लापरवाही से चलाने के कारण हुआ था। नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **उक्त गवाह का जिरह में** कथन रहा है कि यह बात सही है कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था और ना ही उसने अपनी ऑखों से एक्सीडेंट होते देखा। एक्सीडेंट करते समय टैम्पू को कौन चला रहा था, पता नहीं और ना ही वह ड्राइवर की सकल व सकूनत जानता है। यह एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, उसे पता नहीं, क्योंकि वह बरवक्त घटना मौके पर नहीं था। उसे तो फोन कर बावड़ीखेड़ा से बुलाया था।

11. **गवाह पी.डब्ल्यू. 03 मछला** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि एक्सीडेंट किस तारीख को हुआ था, वह अनपढ़ है, वह जानती नहीं है,

परंतु बयान दिवस से करीब साढ़े नौ साल पहले की बात है। दिन के 12:00–01:00 बजे की बात है। वह और उसका आदमी सरावली गये थे। वह महवा आने के लिए सरावली के पास जो पैट्रोल पम्प है, वहां पर खड़े हुये थे। सफेद कलर का एक टैम्पू सरावली से आया था, जिसने उनके खडे हुये के टक्कर मार दी थी। उक्त टैम्पू तेज गति से चल रहा था। टैम्पू के नंबर आज उसे याद नहीं है। टैम्पू को अशोक नाम का व्यक्ति चला रहा था, जो शायद हिण्डौन की तरफ का था। उक्त एक्सीडेंट से लालचंद के कमर व कोहनी व घुटने पर चोट आई थी। उसके उक्त एक्सीडेंट से कमर के पास की हड्डी टूट गई थी। पुलिस की गाडी आई, जो उन्हें लेकर मंडावर अस्पताल गई थी, जहां से उन्हें दौसा रैफर कर दिया था। यह एक्सीडेंट टैम्पू चालक की लापरवाही व तेजगति से चलाने के कारण हुआ था। उसकी चोटों का मेडिकल हुआ था, जो प्रदर्श पी 05 है, जिस पर एक्स स्थान पर मेरी अंगूठा निशानी अंकित है। **उक्त गवाह का जिरह में** कथन रहा है कि यह सही है कि एक्सीडेंट कितने तारीख को हुआ था, तारीख उसे ध्यान नहीं है। यह सही है कि जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था, उसके नंबर भी उसे याद नहीं है। यह बात सही है कि जहां एक्सीडेंट हुआ था, वह बहता हुआ रोड है। वह गिर गई थी, इसलिये ड्राईवर को शक्ल से नहीं पहचान सकती है और ना ही उसने अपनी आंखों से देखा था। उसे तो वहां पर खडे लोगों ने ड्राईवर का नाम बताया था। जिस टैम्पू से एक्सीडेंट हुआ था, उसके ऊपर क्या लिखा था और वह किस कंपनी का था, उसे पता नहीं है क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं है। यह बात सही है कि एक्सीडेंट होने से वह बेहोश होकर गिर पड़ी थी, इसलिए उसे कौन अस्पताल लेकर गया था पता नहीं है। उसके शरीर पर हल्की भारी 5–7 चोट आई थी और उसका पैर टूट गया था। उसने सभी चोटें डॉक्टर को बता दी थी।

12. **गवाह पी.डब्ल्यू. 04 डॉ. रमेशचन्द बैरवा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 15.03.2015 को मैं सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र मंडावर पर एम.ओ. के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस प्रतिवेदन पर मजरूबा मछला देवी पत्नी लालचंद के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था, जिसके शरीर पर निम्न चोटें थी – 1. सूजन और दबाने पर दर्द की शिकायत थी, जिसकी साईज 2 गुणा 2 इंच थी। कमर के नीचे पैर पर चोट थी, जो कि कुंद हथियार से कारित थी। चोटें की अवधि 6 घंटे

की थी। उक्त चोट का एक्सरे एडवाइज किया था। चोट एम.एल.सी. मछला देवी प्रदर्श पी.5 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। एक्स स्थान पर मछला देवी की अंगूठा निशानी है। बाद एक्सरे मछला की चोट गंभीर प्रकृति की पाई गई। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी.9 है एवं एक्सरा प्लेट प्रदर्श पी.6 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। उसी दिन लालचंद पुत्र गंगासहाय निवासी विशाला के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था, जिसके शरीर पर निम्न चोटें थी– चोट संख्या 1. छाती पर डेढ़ गुणा 1 सेमी. खरोंचनुमा चोट। 2. बाएँ पैर के टखने पर आधा गुणा आधा सेमी. खरोंचनुमा चोट। 3. बांये पैर की घुटने से नीचे टिबिया में खरोंचनुमा चोट। 4. कमर के नीचे 1 गुणा 1 सेमी. सूजननुमा चोट थी। चोट संख्या 1, 2, 3 साधारण प्रकृति की व चोट संख्या 4 का एक्सरे एडवाइज किया था। उक्त सभी चोटें कुंद हथियार से कारित थी। लालचंद की एमएलसी प्रदर्श पी.4 है, जिस पर ए से बी लालचंद के व सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। बाद एक्सरे लालचंद की चोट साधारण प्रकृति की पाई गई। एक्सरा रिपोर्ट प्रदर्श पी.8 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर व सी से डी मेरी रिपोर्ट है। लालचंद की एक्सरा प्लेट प्रदर्श पी.7 है।

13. **गवाह पी.डब्ल्यू. 05 विक्रम सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 30.03.2016 को सी.ओ कार्यालय में चालक के पद पर कार्यरत था। उस दिन एसएचओ मंडावर की तहरीर पर मुकदमा संख्या 44/2016 में जब्तशुदा वाहन आर.जे 34 जी.ए 1148 टैम्पू की एम. आई मेरे द्व ारा की गई, जो निम्न प्रकार है– 1. वाहन के सामने का शीशा कन्डैक्टर साइड से टूटा हुआ था। 2. कन्डैक्टर साइड की खिडकी में बाहर की तरफ रगड व मोच के निशान थे एवं वाहन के सारे सिस्टम चालू हालत में थे। वाहन चालू हालत में था। उसके द्वारा की गई एम.आई प्रदर्श पी.10 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर व सी से डी मेरी राय है। **उक्त गवाह का जिरह में** कथन रहा है कि उसे आज टैम्पू के इंजन नंबर व चेचिस नंबर याद नहीं है, पत्रावली देखकर बता सकता है। टैम्पू एसीई कंपनी का था।

14. **गवाह पी.डब्ल्यू. 06 बृजेश कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 30.03.2016 को थाना मंडावर पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा संख्या 44/16 धारा 279, 337, 338 आईपीसी में एक टैम्पू टाटा संख्या आर.जे. 34 जी.ए. 1148 को रामचरण

एएसआई ने उसके व प्रभातीलाल के सामने जब्त कर फर्द जब्ती तैयार की जो प्रदर्श पी. 11 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **उक्त गवाह का जिरह में** कथन रहा है कि जब्तशुदा टैम्पू प्रदर्श पी.11 के इंजन नंबर व चेचिस नंबर क्या थे, उसे आज ध्यान नहीं है। यह बात सही है कि मैं अनुसंधान अधिकारी रामचरण का मातहत कर्मचारी था।

15. **गवाह पी.डब्ल्यू. 07 सुरजन सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 19.03.2016 को थाना मंडावर पर ए.एस.आई. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन लालचन्द की तहरीर पर मुकदमा नंबर 44/16 अंतर्गत धारा 279, 337 आई.पी.सी. में दर्ज कर तफ्तीश रामचरण हैड कानि. के जुम्मे की। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.2 पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम अशोक कुमार का आपराधिक रिकॉर्ड मेरे द्वारा अनुसंधान अधिकारी को दिया गया, जो प्रदर्श पी.12 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान रामचरण ने मुलजिम अशोक के विरुद्ध अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली उसके जुम्मे की थी, जिस पर चालानी आदेश प्राप्त कर चालान न्यायालय में पेश किया, जो प्रदर्श पी.13 है, जिसके सभी पृष्ठ पर मेरे हस्ताक्षर है। **उक्त गवाह का जिरह में** कथन रहा है कि यह सही है कि उसने उक्त पत्रावली का अनुसंधान नहीं किया और ना ही उसने परिवादी से पूछताछ की और ना ही मजरूब के कोई जाहिरा चोट देखी थी। <u>यह सही है कि उसने किसी भी गवाह व आर.टी.ओ. ऑफिस के वाहन संबंधित कोई रिकॉर्ड प्राप्त किया कि उक्त वाहन का मालिक कौन था।</u>

16. **गवाह पी.डब्ल्यू. 08 रामचरण** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 19.03.2016 को थाना मण्डावर पर हैड कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन लालचन्द की तहरीर पर आई सी थाना सुरजन सिंह एएसआई ने मुकदमा संख्या 44/2016 धारा 279, 337 भा.द.स दर्ज कर तफतीश मेरे जिम्मे की। दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका गवाह शेर सिंह व अखलेश की उपस्थिति में मुस्तगीस की निशादेही से तैयार किया, जो प्रदर्श पी.3 है, जिस पर इ से एफ मेरे व जी से एच शेर सिंह व ए से बी व सी से डी गवाहान् के हस्ताक्षर है। गवाह शेर सिंह, मछला देवी, लालचंद अलकेश के बयान कथनानुसार लेकर लेखबद्ध किये। मजरूब मछला देवी व लालचंद की चोटों की एमएलसी जो क्रमशः प्रदर्श पी 4, 5 है और एक्सरे रिपोर्ट क्रमश प्रदर्श 8, 9 एवं एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी.6, 7 है, को प्राप्त कर

शामिल पत्रावली किये गये। फर्द जप्ती टैम्पू टाटा आर.जे. 34 जी.ए. 1148 को जप्त कर फर्द जप्ती तैयार की, जो प्रदर्श पी 11 है, जिस पर सी से डी मेरे इ से एफ प्रभातीलाल के हस्ताक्षर है। फर्द जप्ती कागजात जप्तशुदा टैम्पू आरसी, चालक का डीएल और आईसी प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी मेरे व सी से डी खेमचंद व इ से एफ प्रभाती लाल के हस्ताक्षर है। नोटिस 133 एम.वी. एक्ट वाहन स्वामी अशोक कुमार को दिया जाकर जवाब प्राप्त किया, जो प्रदर्श पी.15 है, जिस पर ए से बी मेरे व सी से डी वाहन स्वामी व चालक अशोक के हस्ताक्षर व इ से एफ अशोक का जवाब है। जप्तशुदा वाहन की एमआई प्रदर्श पी.10 है। अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड प्रदर्श 12 है। उपरोक्त समस्त अनुसंधान से मुलजिम अशोक के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा.द.स में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली थानाधिकारी सुरजन को सुर्पूद की थी। **उक्त गवाह का जिरह में** कथन रहा है कि यह सही है कि तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर गाडी के चालक का नाम व हुलिया अंकित नहीं थे। अजखुद कहा केवल गाडी के नम्बर अंकित है। यह सही है वाहन संख्या आरजे 34 जीए 1148 का किसी भी आरटीओ ऑफिस से कोई विशेष मालिक संबधि कोई दस्तावेज प्राप्त नही किये जिससे यह साबित हो सके की उक्त वाहन का रजिस्टर्ड मालिक कौन है। अजखुद कहा राजकॉप एप्प से मालूम किया था। यह सही है प्रदर्श पी.3 पर उसने आस–पडोसियों के कोई हस्ताक्षर नहीं कराये न कोई बयान लिये।

17. **गवाह पी.डब्ल्यू. 09 प्रभातीलाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि फर्द जप्ती टैम्पो आर.जे. 34 जी.ए. 1148 उसके सामने बनाई, जो प्रदर्श पी. 11 है, जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। फर्द जप्ती कागजात आरसी, चालक अशोक अग्रवाल का डीएल व टैम्पू का बीमा जप्त कर फर्द जप्ती पुलिस वाले ने तैयार की थी, जो प्रदर्श पी 14 है, जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। **उक्त गवाह का जिरह में** कथन रहा है कि यह सही है कि प्रदर्श पी–11 पर उसने खाली कागज पर हस्ताक्षर किये थे। उसके सामने कोई फर्द जप्ती तैयार नहीं की गई।

18. **गवाह पी.डब्ल्यू. 10 शेर सिंह मीणा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना 16 मार्च 2016 की बात है, दिन के करीब 12 बजे की बात थी। वह घर पर था, उसे सूचना मिली थी। उसे फोन आया कि लालचद जी जो उसके जीजा जी लगते हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। वह सरकारी

अस्पताल मण्डावर गया तो देखा कि जीजा जी के सिर में चोट और हाथ चोट थी। उसकी बहन मछला देवी के कमर में व पैर में चोट आई थी। लालचंद व मछला देवी बिशाला से खेडा मंगलसिंह गॉव आ रहे थे। जटवाडा स्टेण्ड पर एक्सीडेंट हुआ था, जो टैम्पू से हुआ था। टैम्पू के नंबर आर जे 34 जी.ए. 1148 थे। उसके जीजा व बहन को मण्डावर अस्पताल से दौसा रैफर कर दिया गया था। दौसा में उनका इलाज करवाया था। यह एक्सीडेंट टैम्पू चालक की लापरवाही से हुआ था। घटनास्थल का नक्शा मौका मेरे सामने बनाया था, जिस पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। **उक्त गवाह का जिरह में** कथन रहा है कि यह सही है कि घटना के वक्त वह अपने घर पर था, एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर वह सीधे अस्पताल पहुंचा था। घटनास्थल पर नहीं पहुंचा था। उसने थाने के सामने टैम्पू देखा था। टैम्पू को कौन चला रहा था उसे पता नहीं है। उसने टैम्पू चालक को नहीं देखा और न ही एक्सीडेंट होते हुए देखा।

19. इस प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं का आरोप है, जिसके विनिश्चिय हेतु मुख्य रूप से निम्न दो बिन्दुओं पर गौर करना है :–

1. क्या वक्त घटना अभियुक्त अशोक कुमार ही दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को चला रहा था ?

2. क्या अभियुक्त अशोक कुमार ने उक्त वाहन को लापरवाही व उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर आगे अपनी साईड में खड़े मजरूबान लालचंद व मछला को सामने से टक्कर मारकर लालचंद व मछला के के साधारण व गंभीर उपहति कारित की?''

20. न्यायालय के विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त अशोक कुमार के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. के तहत् अपराध का आरोप है, जिसमें अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करने हेतु यह अनिवार्य है कि अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करें, कि वक्त घटना जिस तथाकथित वाहन से आहतगण दुर्घटनाग्रस्त होना बताये जाते है, उक्त वाहन को अभियुक्त अशोक कुमार ही चला रहा था तथा अभियुक्त के द्वारा अपने वाहन टैम्पो को गफलत व लापरवाही से चलाकर मजरूबान लालचंद व मछला के साधारण व गंभीर उपहति कारित की गई

थी।

21. अभियुक्त पर उक्त आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष कुल 10 गवाह परीक्षित हुए है जिनका अवलोकन करें तो प्रकरण का महत्वपूर्ण **गवाह पी.ड.1 लालचंद** है जो कि प्रकरण में मजरूब/परिवादी भी है। उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह रोड़ पर सरावली पैट्रोल पर उसकी पत्नी के साथ खड़ा था। एक टेम्पू मण्डावर की तरफ से आया, जिसका नंबर आर.जे. 34 बाकी नम्बर पता नहीं है। इस टैम्पू को कौन चला रहा था, किसका टैम्पू था पता नहीं है। जबकि उक्त गवाह जिरह में कथन करता है कि प्रदर्श पी–1 उसकी कलमी नहीं है, इसमें क्या लिखा है, पता नहीं। उसके तो हस्ताक्षर कराये थे। जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ, उसके नंबर पता नहीं है। वह टैम्पू के ड्राइवर को नहीं जानता, क्योंकि वह बेहोश हो गया था और ना ही उसने उसे देखा था। इस वजह से नहीं बता सकता कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ था। उन्हें टक्कर लगने का भी पता नहीं चला था। इसी प्रकार प्रकरण की अन्य महत्वपूर्ण/चश्मदीद **गवाह पी.ड.3 मछला** रही है, जो आहत है ने कथन किया कि वक्त घटना परिवादी लालचंद के साथ घटनास्थल पर मौजूद थी। दौराने जिरह कथन करती है कि जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था, उसके नंबर भी उसे याद नहीं है। यह बात सही है कि जहां एक्सीडेंट हुआ था, वह बहता हुआ रोड़ है। वह गिर गई थी, इसलिये ड्राईवर को शक्ल से नहीं पहचान सकती है और ना ही उसने अपनी आंखों से देखा था। उसे तो वहां पर खड़े लोगों ने ड्राईवर का नाम बताया था। इस प्रकार उक्त दोनो गवाह वक्त घटना दुर्घटना कारित वाहन के चालक को पहचानने से इन्कार करते हैं तथा दुर्घटना कारित वाहन के नम्बर भी उन्हें पता नहीं होना कथन करते हैं। इसी प्रकार **गवाह पी.ड.2 अलकेश** अपनी जिरह में कथन करता है कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था और ना ही उसने अपनी ऑखों से एक्सीडेंट होते देखा। एक्सीडेंट करते समय टैम्पू को कौन चला रहा था, पता नहीं और ना ही वह ड्राईवर की शक्ल व सकूनत जानता है। यह एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, उसे पता नहीं, क्योंकि वह बरवक्त घटना मौके पर नहीं था। इस प्रकार अभियोजन गवाह पी.ड.2 अलकेश वक्त घटना, घटनास्थल पर मौजूद नहीं होना, एक्सीडेंट होते नहीं देखा कथन करता है व दुर्घटना कारित वाहन टैम्पू का चालक कौन था व

ड्राईवर को पहचानने से भी इन्कार करता है। **गवाह पी.ड.10 शेर सिंह** जिरह में कथन करता है कि घटना के वक्त वह अपने घर पर था, एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर वह सीधे अस्पताल पहुंचा था। घटनास्थल पर नहीं पहुंचा था। उसने थाने के सामने टैम्पू देखा था। टैम्पू को कौन चला रहा था उसे पता नहीं है। उसने टैम्पू चालक को नहीं देखा और न ही एक्सीडेंट होते हुए देखा। इस प्रकार उक्त गवाह भी दुर्घटना घटित होने के बाद सीधे ही अस्पताल जाना, टैम्पू चालक को नहीं देखना व एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखना कथन करता है। **गवाह पी.ड.4 डॉ. रमेश चंद बैरवा** जो कि चिकित्सकीय साक्षी है, जो कि अपनी साक्ष्य में मजरूबान लालचंद व मछला देवी के आई चोटों का मेडिकल मुआयना किए जाने का कथन करता है। **गवाह पी.ड.5 विक्रम सिंह** मैकेनिकल मुआयना का गवाह है, जिसने अपनी साक्ष्य में वाहन का वाहन का मैकेनिक मुआयना किए जाने की साक्ष्य दी है। **गवाह पी.ड.6 बृजेश कुमार** जो कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी–11 का गवाह है, जिसने अपनी साक्ष्य में उसके व प्रभातीलाल के सामने फर्द जप्ती तैयार करने की साक्ष्य देता है। **गवाह पी.ड.7 सुरजन सिंह** जो कि प्रकरण में मात्र आरोप पत्र पेशकर्ता है। गवाह पी.ड.8 रामचरण जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी रहा है। उक्त गवाह अपनी जिरह में कथन करता है कि तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पर गाड़ी के चालक का नाम व हुलिया अंकित नहीं थे, अजखुद कहा कि केवल गाड़ी के नम्बर अंकित थे। वाहन संख्या आरजे34–जीए–1148 का किसी भी आरटीओ ऑफिस से कोई विशेष मालिक संबंधी कोई दस्तावेज प्राप्त नही किये जिससे यह साबित हो सके कि उक्त वाहन का रजिस्टर्ड मालिक कौन है। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी द्वारा किया गया अनुसंधान अपूर्ण अनुसंधान दर्शित होता है जिससे स्वयं अनुसंधान अधिकारी के बयानों से अभियोजन कहानी की ताईद नहीं होती है। इसी प्रकार फर्द जप्ती का अन्य गवाह पी.ड.9 प्रभातीलाल जिरह में कथन करता है कि प्रदर्श पी–11 पर उसने खाली कागज पर हस्ताक्षर किये थे। उसके सामने कोई फर्द जप्ती तैयार नहीं की गई। इस प्रकार उक्त गवाह भी स्वयं के सामने फर्द बनाये जाने से इन्कार करता है। इस प्रकार उक्त अभियोजन साक्ष्य से यह नहीं माना जा सकता कि वक्त घटना दुर्घटना कारित वाहन RJ34-GA-1148 पर चालक अशोक कुमार था।

22. इस प्रकार अभियोजन द्वारा पेश की गई मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट

नहीं होता है कि वक्त घटना दुर्घटना कारित वाहन का चालक कौन था। हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध स्थिति को समग्र रूप से देखे तो हस्तगत प्रकरण की तहरीरी रिपोर्ट नामजद नहीं है, न ही किसी गवाह ने अपने बयानों में वाहन चालक के संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य दी है, चूंकि रिपोर्ट नामजद नहीं है, इसलिए अनुसंधान अधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि वह अभियुक्त की सक्षम अधिकारी के समक्ष चश्मदीद से पहचान कार्यवाही करवाता। प्रकरण में किसी भी गवाह ने वाहन चालक के संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं दी है। ऐसे में अभियोजन यही तथ्य स्पष्ट नहीं कर पाया है कि वक्त घटना दुर्घटना कारित करने वाले वाहन पर वाहन चालक प्रकरण हाजा का अभियुक्त अशोक कुमार ही था या नहीं। इस संबंध में **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्व ारा न्यायिक विनिश्चय संग्राम सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1990(2) आरएलआर 726 में यह मार्गदर्शन दिया गया है कि दुर्घटना संबंधित मामलों में सर्वप्रथम अभियोजन घटना के वक्त दुर्घटना करने वाले वाहन के चालक को साबित करेगा, तत्पश्चात् ही लापरवाही व उपेक्षा का प्रश्न उत्पन्न होगा।**

23. अभियोजन पक्ष को स्वयं की साक्ष्य से प्रथम बिन्दू के तहत यह साबित करना था कि वक्त घटना प्रकरण हाजा के अभियुक्त ही दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को चला रहा था, परंतु उक्त बिन्दू को साबित करने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा है, ऐसे में गफलत व लापरवाही के बिन्दू पर पृथक से कोई विवेचन किये जाने की आवश्यकता शेष नहीं रहती है।

24. इस प्रकार प्रस्तुत समस्त साक्ष्य के विवेचन से यह न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोपों की विशिष्टियों को साबित करने में असफल रहा है। लिहाजा यह न्यायालय अभियुक्त अशोक कुमार को उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337 व 338 भा.दं.संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित पाता है।

—: आदेश :—

25. अतः अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र बलदेव प्रसाद, निवासी शीतला कॉलोनी, हिण्डोन सिटी, जिला करौली (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के आरोप

से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं।

26. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व में सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा पर सुपुर्दगीदार को दिया हुआ हैं जो सुपुर्दगीदार के पास ही रहेगा। उक्त सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझे जावे।

(सीमा मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला दौसा

27. यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(सीमा मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला दौसा